

कार्यालय: नगर पंचायत, बनमनखी

पत्रांक.....

प्रेषक:— श्री मनीष कुमार (B.P.S.C.)
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बनमनखी।

सेवा में,

लेखा परीक्षा अधिकारी,
शहरी स्थानीय निकाय,
बिहार, पटना।

बनमनखी दिनांक.....

विषय:— लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं के निस्तारण के संबंध में।

प्रसंग:— सरकार के अपर सचिव, न0वि0 एवं आ0वि0 बिहार, पटना के पत्रांक— 498
दिनांक— 11.03.2014।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या— 10/2009-10 के कंडिका संख्या— 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 (A) 16 (B), 17 18 एवं 19 में उल्लिखित आपत्ति का निराकरण करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:— यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह.

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बनमनखी।

ज्ञापांक— 614..... दिनांक— 05.08.14.....

प्रतिलिपि:— सरकार के उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

05-8-14
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बनमनखी।

कार्यालय नगर पंचायत बनमनखी, (पूर्णिमाँ)


19/09-10

107

क्र०	अंकेक्षण कडिका सं०	विषय	अंकेक्षण आपति का उत्तर
01	04	पूर्ववर्ती लेखा प्रतिवेदन	वित्तीय वर्ष 1991-92 से 2001-02 (अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-47 / 2002-03) तक अंकेक्षण द्वारा 13 कडिकाओं पर आपति दर्ज नरखी गयी है। कार्यालय से पत्र खोजा गया तथा कडिकाओं के विन्दुवार निस्सारण की कार्रवाई कर यथाशीघ्र प्रेषित कर दी जाएगी।
02	05	Over View	कार्यकुशल एवं दक्ष सहायकों के नहीं रहने के कारण Reconciliation नहीं हो पा रहा है, फिर भी अन्य कार्यालयों के लेखा से संबंधित जानकार कर्मों को बुलाकर Reconciliation करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि इस कार्यालय में एक भी स्थायी सहायक पदस्थापित नहीं है। तहसीलदार एवं सचिवा पर नियुक्त कर्मों के द्वारा कार्यालय का संचालन किया जा रहा है।
03	06	Important Audit Findings	_____
04	07	आंतरिक लेखा परीक्षा	भाविष्य में पदाधिकारी के द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कार्यालय का निरीक्षण तथा लेखा का जाँच किया गया।
05	08	बजट	बजट तैयार कर स्वीकृती हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाती है।
06	09	अनुदान पंजी	जानकारी के अभाव में एवं दक्ष कर्मों के नहीं रहने के कारण अनुदान पंजी / मांग पंजी का संधारण नहीं किया जा सका है, परंतु वर्तमान वित्तीय वर्ष से अनुदान पंजी का संधारण करने का निर्देश दिए गए हैं, जो अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।

07	10	जमा नहीं	निर्धारित राशि 23,552.00 रुपया दिनांक- 05.05.11 को संबंधित खाता संख्या-3650 में जमा करा दिया गया है।
08	11	मांग एवं संग्रह पंजी का संधारण नहीं	जानकारी के अभाव में एवं दक्ष कर्मों के नहीं रहने के कारण मांग एवं संग्रह पंजी का संधारण नहीं किया जा सका है, परंतु वर्तमान वित्तीय वर्ष से मांग एवं संग्रह पंजी का संधारण करने का निर्देश दिए गए हैं, जो अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।
09	12	सरकारी भवनों पर गृह कर बकाया	एकमात्र स्थायी कर्मों तहसीलदार जो वर्तमान में प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल के प्रभार में है। कार्यालय कर्मियों/सहायक के अभाव के कारण गृहकर बकाया की वसूली नहीं हो पा रही थी। दिनांक-12.08.12 को आयोजित बोर्ड की बैठक में राजस्व वसूली हेतु 4% एजेन्ट की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है, जिससे राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा किया जा सके।
10	13	आपत्तिजनक एवं खतरनाक वस्तु व्यापार शुल्क	आपत्तिजनक एवं खतरनाक वस्तु व्यापार शुल्क की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।
11	14	मोबाईल टावर से संबंधित	नगर पंचायत के ग्राहक (11) स्थानों पर मोबाईल टावर के बकाया राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के अन्तर्गत विवादाधीन होने के कारण अब तक लंबित है।
12	15	ग्राहकों वित्त आयोग से संबंधित	1. संबंधित राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। 2. रायल्टी की राशि जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जमा की राशि अगले अंकेक्षण में दिखाया दी जाएगी।

13	16(A)	बारहवीं वित्त आयोग	1. भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। 2. संयुक्ती की राशि जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जमा की राशि अगले अंकेक्षण में दिखला दी जाएगी।
14	16(B)	बारहवीं वित्त आयोग	a. भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। b. VAT की राशि जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जमा की राशि अगले अंकेक्षण में दिखला दी जाएगी। c. संबंधित राशि यथाशीघ्र खर्च कर अगले दिखला दिया जाएगा।
15	17	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना	1. भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। 2. अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।
16	18	सहाय्य मद	1. निर्धारित राशि की वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है। 2. भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। 3. निर्धारित राशि का समायोजन हो चुका है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखला दिया जाएगा।
17	19	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	अग्रिम राशि का समायोजन किया जा चुका है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखला दिया जाएगा।


 05-8-14
 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर पंचायत, बनमनखी
 05-8-14

